

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश**

संचिका संख्या – 15/औ०-14-01/2024 पटना, दिनांक –.....2026

श्री महेन्द्र कुमार सैनी, खाद्य विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना-07 के द्वारा दिनांक-11.08.2025 से 18.08.2025 तक कुल-08 दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०का०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-764(25) दिनांक-15.04.2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(श्री कृष्णा उरॉव)

सरकार के उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०-14-01/2024 211(15 बी) पटना/दिनांक: 12.08.2026

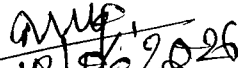
प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले० एवं ह०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०का०) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री महेन्द्र कुमार सैनी, खाद्य विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला अगमकुआँ, पटना-07 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

